

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 21 : Manner of recovery of credit distributed in excess

Where the Input Service Distributor distributes the credit in contravention of the provisions contained in section 20 resulting in excess distribution of credit to one or more recipients of credit, the excess credit so distributed shall be recovered from such recipients along with interest, and the provisions of section 73 or section 74, as the case may be, shall, *mutatis mutandis*, apply for determination of amount to be recovered.

धारा 21 : आधिक्य में वितरित प्रत्यय के वसूली की रीति

जहां इनपुट सेवा कर वितरक, धारा 20 में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में प्रत्यय का ऐसा वितरण करता है, जिसके परिणामस्वरूप, प्रत्यय के एक या अधिक प्राप्तिकर्ताओं को आधिक्य में प्रत्यय का वितरण हो जाता है, वहां ऐसे प्राप्तिकर्ताओं से इस प्रकार वितरित आधिक्य प्रत्यय ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध वसूली किए जाने वाली रकम के अवधारण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
